विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

स.का.पि. 257.—राष्ट्रपति, सन्निवेशन के अनुसार 309 के परामर्श द्वारा प्रशासन का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय में पुस्तकालय और सुविधा सहायता को पद पर भारी की पद्धति का विनियमन करने के लिए निर्माणस्थल है जिसके लायक हैं, अर्थात् :—

1. संशोधन नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संशोधन नाम विद्युत मंत्रालय, पुस्तकालय और सुविधा सहायता, समूह 'ख' पद भर्ति नियम, 2012 है।

(2) ये राजनय में प्रकाशन की लारी की प्रस्तुत होगी।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, चेतन बैंड और ग्रेड चेतन या चेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, चेतन बैंड और ग्रेड चेतन या चेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपादेय अनुसूची के स्तर (2) से स्तर (4) में विनिर्दित है।

3. भारी की पद्धति, आयु-सीमा, आहटाएँ, आदि,—भारी की पद्धति, आयु-सीमा, आहटाएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तर (5) से स्तर (13) में विनिर्दित हैं।

4. निरहुस्त,—वह व्यक्ति,—

(क) जिसके अंतर्गत से, जिसमें पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
5. शिक्षित करने की प्रविधि — जब हां कंद्रीय सरकार की यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाद ऐसे व्यक्त किया किसी उपभोक्ता से विवाद स्वियम्र के अधिनी अंतराल अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रयोग से छुट्टी दे सकते है।

6. व्यवस्थित — इन नियमों की कोई बात ऐसे समय, आयु-समय में हट और अन्य नियमों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका कंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रांगण के व्यक्तियों के लिए उपभोक्ता करना अनुशीलित है।

| अनुसूची |
|---|---|
| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अवधि | अच्छन्न पद | सोप्यें भारी किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-समय |
| पुस्तकालय | 1* (2012) | साधारण कंद्रीय | वेतन-बैंड-2, | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| और सूचना कार्यकारी | 9300— | लागू नहीं होता |
| सहायक | आधार पर | अर्जित, 34800 रु. + |
| परिवर्तन किया आपुरस्विचिीय | ग्रेड वेतन | 4200 रु. |
| जा सकता है। |

सोप्यें भारी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूचित रूप से और अन्य अहसास नहीं, सोप्यें भारी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अतिम स्वतंत्र आयु और शैक्षणिक अहसास प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं, परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो।

| लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता |
| प्राप्त व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

भारी के प्रबलति : भारी सोप्यें होगी या प्राप्तिः द्वारा या प्रतिनिधित्व/आपेक्षित द्वारा विनिमय प्रबलतियों द्वारा भारी जाने वाले विविध प्रविधियों की प्रतिस्पर्धा।

प्राप्ति/प्रतिनिधित्व/आपेक्षित द्वारा भारी को दशा में वे श्रीमंत जिनसे प्राप्ति/प्रतिनिधित्व/आपेक्षित किया जाएगा।

संयुक्त प्रबलति (प्रतिनिधित्व और प्राप्ति) : ऐसे विवाद जो पुस्तकालय स्वियम्र पर, जिन्हें वेतन बैंड-1, 5200—2020 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में 13 वर्ष नियमित सेवा की है, भी जाहीर व्यक्तियों के लिए विवाद स्वियम्र के अधिनी अंतराल अनुज्ञा है तो वह वह पद प्राप्ति द्वारा भरा गया समय अंतराल।

दिखाया : प्राप्ति के लिए न्यूतम आर्थिक सेवा का संगठन करने के प्रवेश के लिए किसी अवधारणा द्वारा 1-1-2006 से पहले/उत्तर तारीख से, जिससे छोटे कंद्रीय वेतन आपेक्षित की दिवसारियों के आधार पर पुनर्मिति बैंड
संरचना का विवाद किया गया है, निर्मित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वित्तसंवर्धनी ग्रेड वेतन/वेतन-मन्त्र में की गई सेवा समझौते जाएगी।

**प्रतिनिधित्वक़**

कंट्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो मूल कार्ड या संगठन में नियोजित आधार पर सदृश पर धारण किए हए हैं; या

(ii) जिनके मूल कार्ड/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 2800 रू. या समस्त मध्ये पर नियोजित आधार पर नियुक्ति के वर्षांतः उस संगठन में छह वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिनके मूल कार्ड/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. या समस्त मध्ये पर नियोजित आधार पर नियुक्ति के वर्षांतः उस संगठन में दस वर्ष सेवा की है; या

(iv) जिनके पास पुस्तकालय विभाग में दिग्गज हो और जिनके मूल कार्ड/विभाग में तेघ वर्ष सेवा की है तथा वेतन बैंड-1, 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. या समस्त मध्ये पर धारण किए हए हैं; और

(ख) जिनके पास निर्माणिकृत शैक्षक अहंतात्मा और अनुभव हैं;—

(आ) आवंटनः

(1) किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यसेवा/संरचना से पुस्तकालय विभाग में बैठेलियर डिग्री; या

(2) किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यसेवा से बैठेलियर डिग्री।

(ब) वांछनीयः

कंट्रीय सरकार या राज्य सरकार या पंजीकृत सेक्टर उप्रद्रोह या स्वायत्न निकायों या स्वास्थ्यसेवा के पुस्तकालय में दो वर्ष के वृद्धि के अनुमति; या किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यसेवा/संरचना में कंट्रीय उपरोक्त विभाग में डिग्री।

पोषक प्रवर्तन के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोफेसर की सीमित पंचम में हैं, प्रतिनिधित्वक नियुक्ति के लिए, विवाद किया जाने के पास नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनिधित्वक व्यक्ति प्राप्त नियुक्ति के लिए विवाद किया जाने के पास नहीं होंगे।

(प्रतिनिधित्वक की अवधि, जिसके अन्तर्गत कंट्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी नियुक्ति से ढील पहले धारण किसी कार्ड बाहर पड़ पर प्रतिनिधित्वक की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनिधित्वक द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु योग्य में व्यक्ति प्राप्त करने को अवधि तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**विधियाँः**

प्रतिनिधित्वक के आधार पर नियुक्ति के प्रारंभ के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छह कंट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति संरचना का विवाद किया गया है, निर्मिति आधार पर की गई सेवा को, सिफारि उस दरा से जाह्न एक से अधिक पूर्व, पुनर्नियुक्ति वेतनमान का साथ ग्रेड वेतन या वेतनमान सत्ता एक श्रेणी में विलय हो गया है और वह यह लाभ किंवा उस पर (उन पदों) पर विवाद किया गया है जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामर्थ्य प्रतिनिधित्व ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वित्तसंवर्धनी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझौते जाएगी।
<table>
<thead>
<tr>
<th>(12)</th>
<th>लागू नहीं होता</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[फा. सं. 9/4/2009-प्रशा. II]
पी. पी. बोस, अध्यक्ष सचिव